राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1 / चूरू / 2014पार्ट जयुपर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10 / 12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10 / 12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5 / 8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 / 12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए है :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों की शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

चूरू जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10 / 12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10 / 12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

जिला–चूरू

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र0स0	पंचायत समिति/ नगपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/ वार्ड नं0	राउमावि/मावि. (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	तारानगर	सात्वू	सात्वू	राउमावि सात्वू	राउप्रावि नवीन सात्वू
2	तारानगर	साहवा	साहवा	राबाउमावि साहवा	राबाउप्रावि साहवा
3	राजगढ़	सिद्धमुख	सिद्धमुख	राउमावि बालिका सिद्धमुख	राबाउप्रावि सिद्धमुख
4	सुजानगढ	मलसीसर	मलसीसर	राउमावि मलसीसर	राउप्रावि मलसीसर
5	सुजानगढ	कल्याणसर	कल्याणसर	राउमावि कल्याणसर	राप्रावि आचरो की ढाणी
6	सुजानगढ़	छापर	छापर	राबाउमावि जनकल्याण छापर	राबाउप्रावि छापर
7	सुजानगढ	चाड़वास	चाड़वास	राउमावि चाड़वास	राउप्रावि चंदनज्ञान चाड़वास
8	सुजानगढ़	सुजानगढ़	सुजानगढ़	राबाउमावि कनोई	राबाउप्रावि कनोई सुजानगढ
9	सुजानगढ़	छापर	छापर	राउमावि छापर	राउप्रावि पेड़ीवाल छापर
10	सरदारशहर	रणसीसर	रणसीसर	राउमावि रणसीसर	राउप्रावि रणसीसर
11	चूरू	मोलीसर बड़ा	मोलीसर बड़ा	राउमावि मोलीसर बड़ा	राप्रावि मोलीसर बडा
12	सुजानगढ	बीदासर	बीदासर	राबाउमावि धापूदेवी बीदासर	राबाउप्रावि बीदासर
13	सुजानगढ	मूंदडा	मूंदडा	रामावि मूंदडा	राप्रावि मूंदडा नवीन
14	सुजानगढ	उटालड	उटालड	रामावि उटालड़	राप्रावि अमरानाताल
15	सुजानगढ	जालेउ	जालेउ	रामावि जालेउ	राप्रावि जालेउ

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगाः–